विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद

क्या राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने व पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ केयर के कर्त्तव्य को निभाने में सार्थक होगा?

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य का अधिकार के हेतु राजस्थान स्वास्थ्य का अधिनियम 2022 लाने का संकल्प लिया है और अपेक्षा की है कि यह कानून राज्य सरकार का क्रान्तिकारी कदम होगा। यह कानून इस धारणा के आधार पर बनाया गया है कि इस कानून से राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होगा। अधिकारीगण यह बताते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल 2022 में यह व्याख्या है कि यह बिल कानून बनने पर नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा साथ ही संविधान में जो अधिकार दिये हैं जिनकी सहायता से नागरिकों की हेल्थकेयर में सुविधा होगी। नागरिकों को मुफ्त सलाह प्राप्त हो सकेगी, मुफ्त दवायें प्राप्त होंगी, जांच भी वे फ्री करा सकेंगे। इन्हें प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज कराने की सुविधा होगी जिन्होंने जमीन के अलॉटमेंट में कन्सेशन प्राप्त किया है। यहाँ यह लिखना भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ बीमारी की रोकथाम और उपचार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बीमारी को रोकने का विज्ञान और कला, जीवन को विस्तार देने और पर्यावरण की स्वच्छता के लिये संगठित सामुदायिक प्रयास के माध्यम से स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देने का है।

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार भारत में अपनी तरह का पहला विधेयक है। इसे राज्य सरकार 2022 में विधान सभा में पेश करेगी। इस बिल की घोषणा तो 2018 के इलेक्शन के समय काँग्रेस ने की थी। यों तो ऐसा कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के विश्लेष्ण से न्यायालयों ने गरिमा से जीने के अधिकार को अच्छे स्वास्थ्य के रूप में मौलिक अधिकार माना है। राज्य का कथन है कि चूंकि संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता अत: स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अधिनियम 2022 लाया जा रहा है।

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल को समझने के लिये हमें पब्लिक हेल्थ(लोक स्वास्थ्य) व हेल्थ केयर शब्दों को समझना होगा, इन्हें अधिनियम 2022 में क्रमश: धारा 2(बी) व धारा 2(डी) में Basic Primary Health Care Services o Comprehensive Primary Health Care Services द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ 'पब्लिक हेल्थ' में Health Emergencies को भी शामिल किया गया है। पब्लिक हेल्थ अधिकारों में सेनीटेशन, पीने का पानी का अधिकार है और नये अधिकारों को कर्त्तव्यों में शामिल करने की सलाह भी दी गई है जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। इसके अतिरिक्त विधि (Centre for Legal Policy) ने अपनी यह सलाह अभिव्यक्त की है कि अधिकारियों की Accountability तथा Grievance Redressal Mechanism भी इनमें शामिल हो। विधि ने यह भी वचन दिया है कि इसके प्रावधान, वर्तमान के कानूनों से विरोधाभाषी हो तो इस संबंध में विधान सभा में चर्चा की जावे और पब्लिक हेल्थ व हेल्थ केयर को अलग अलग चेप्टर में बांटा जावे। विधि (सेन्टर फॉर लीगल पोलिसी) जो राज्य की है एक इकाई कही गई है, यह मानती है कि स्वास्थ्य ऑथोरिटी का बिल में उल्लेख मात्र है उसमें उचित संशोधन की आवश्यकता है ताकि उसे कारगर बनाया जावे। विधि मानती है कि Ombdusman की नियुक्ति की जावे वे अपील अधिकारी होंगे।

यह तो सर्वसम्मत विचार है कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है। अत: स्वास्थ्य के मूल अधिकार पर चर्चा नई नहीं है अपितु इस संबंध में डब्ल्यू.एस.ओ. द्वारा सन 1946 में ही यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यह **The highest attainable standard of health as a fundamental Right of every human being.** यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह मानव अधिकार है, अत: राज्य का कर्त्तव्य है कि जनता के इस मूल अधिकार को मान्यता दे। Safe and portable water, sanitation, food, housing health related information and education तथा Gender Equality सभी मूल अधिकार हैं। कमेटी ऑन इकोनोमिक, सोशल व कल्चरल राइट्स तथा यूनिवर्सल पिरियोडिक रिव्यू में स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार माना है और सभी देशों को सलाह दी है कि वे अपने देश के घरेलू कानून अथवा संवैधानिक लॉ में इसे मूल अधिकार मानें। सतत विकास के लक्ष्यों में स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार माना है। सन 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय संधि में, जिसका भारत हस्ताक्षर कर्ता है उसमें भी स्वास्थ्य व शिक्षा के अधिकार को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार माना है।

योजनायें तो अनेक हैं; किन्तु उनका लाभ कैसे मिले, इसकी कोई उपयोगी प्रणाली नहीं है। मरीज जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है उस अस्पताल को इलाज की फीस कैसे और कितने समय में मिलेगी इसकी व्यवस्था हो। कानून में प्रावधान हो कि प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से दुर्भावनावश मना करे तो उस कृत्य की आर्थिक सजा दी जावे।

संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अध्याय में विशेषकर अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39(ई) व अनुच्छेद 41, 47 में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के कानून बनाने की बात की है और संविधान की अनुसूची 11 व 12 में स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व पंचायत व म्यूनिसिपिलिटी पर आरोपित है। अनुच्छेद 23 में स्वास्थ्य का मूल अधिकार इसलिये माना है कि Human Trafficing and Child Labour को निषेधित किया है। हमारे संविधान ने गरिमा मय जीवन यापन के लिये अच्छे स्वास्थ व स्वच्छ पर्यावरण का मूल अधिकार माना है। यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है और जब यह मूल अधिकार है तो फिर न्यायालयों में भी प्रवर्तनकारी है।

स्वास्थ्य का अधिकार अनन्त कथा के समान है सर्वोत्तम अधिकार है और राज्य का कर्त्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था करे। जो राज्य संवैधानिक कर्त्तव्यों की पालना नहीं कर सकता उसके विरूद्ध अनुच्छेद 356 की कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपना दृष्टिकोण है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का अधिकार संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 जो विधान सभा से पारित कराया जावेगा उसमें विधि (Centre for Legal Policy) के अनुसार कई खामियां हैं उन्हें सुधारना होगा, संशोधन करना होगा। जनता ने भी सुझाव दिये हैं उन्हें भी चर्चा में शामिल करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह दिशा निर्देशन दिया है कि कानून साधारण भाषा में होना चाहिये जो सरल और स्पष्ट हो और उद्देश्य पूरक हो। यदि हम राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 को पढ़ें तो पढ़ने मात्र से यह बोध जनित नहीं लगेगा। धारा 2 में जो परिभाषायें दी हैं वे असंगत हैं, भावहीन हैं और संभवत: अग्राहय हैं। इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। Basic Public Health o Health Care Services से यह अर्थ निकलता है कि ये सेवा में केवल Health & Wellness सेन्टर्स पर ही प्राप्त होंगी और Out Patient Services वे होंगी जो समय समय पर परिभाषित की जावेंगी। यानी यदि सेन्टर ही स्थापित नहीं किये गये तो सेवा कैसे दी जा सकती है? अर्थात् सेवा संभव नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीघ्र ही सेवा परिभाषित नहीं की गई तो यह सेवा ही नहीं रहेगी। धारा 2(ए) में Out Patient Services शब्द को परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार Affordable को अनुच्छेद 19(2) के अपवादों में नहीं लाया जा सकता है। कोई भी Catastrophic House hold Health Care की परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन नहीं कर सकता, इसमें बहुत पेच हैं। फिर एक साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति जिसे स्वास्थ्य का अधिकार तो प्राप्त है, किन्तु खर्चों का मूल्यांकन उसके बस की बात नहीं है। यह तो कुछ परिभाषाओं पर ही प्रकाश डाला है, किन्तु अन्य शब्दों व शब्दावली की स्थिति यही है कि वे असंगत व बेमानी है। Health Care Establishment राज्य में कहाँ हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल राज्य में कितने हैं और कितनों ने भूमि पर कन्सेशन प्राप्त किया है? ऐसे हॉस्पिटल नगण्य ही मिलेंगे।

स्वास्थ्य का अधिकार जिन नागरिकों के प्राप्त होगा वे बीमा शुदा होने चाहिये, क्योंकि बिना बीमा कवर के कोई भी नागरिक स्वास्थ्य के अधिकार का लाभ नहीं ले सकता। वर्तमान में केन्द्र की तथा राज्य की स्वास्थ्य संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनायें हैं, फिर क्यों इस अधिनियम 2022 की आवश्यकता है?

क्या यही अच्छा होता स्वास्थ्य का अधिकार बिना किसी बंधन के, कंडीशन के तथा शर्तों के होना चाहिये। एक विज्ञप्ति में ही इसे बांधा जा सकता है। कमेटियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों पर, वे ही जिन्होंने कन्सेशन पर जमीन प्राप्त की है वहीं स्वास्थ्य का अधिकार प्रवर्तनीय होगा। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में न तो आवश्यकता के अनुसार अस्पताल हैं और न यह मरीज को पता है कि वह किस अस्पताल में अपने अधिकार को प्रवर्तनीय बना सकता है और कैसे।

उचित तो यह होगा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार बिना किसी शर्त, प्रतिबंध, फीस आदि के प्राप्त हो। राज्य स्तर पर प्रत्येक नागरिक का पंजीयन हो। राज्य का एक अपना विभाग हो इसके कर्मचारी घर घर जाकर रोगी को स्वास्थ्य का अधिकार के तहत् प्राइवेट अथवा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराये या उनका डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार करायें। भूमि का कन्सेशन प्राप्त करने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है और वर्तमान में जो योजनायें लागू हैं, उनके कारण उक्त कन्सेशन की सुविधा प्राणहीन हो गई है। योजनायें तो अनेक हैं; किन्तु उनका लाभ कैसे मिले, इसकी कोई उपयोगी प्रणाली नहीं है। मरीज जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है उस अस्पताल को इलाज की फीस कैसे और कितने समय में मिलेगी इसकी व्यवस्था हो। कानून में प्रावधान हो कि प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से दुर्भावनावश मना करे तो उस कृत्य की आर्थिक सजा दी जावे। उपरोक्त प्रक्रिया से लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा मरीज को उपचार भी सही प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अधिकार सबको प्राप्त हो, त्वरित हो, नि:शुल्क हो और सुगम तथा सुलभ हो, इसका संवैधानिक दायित्व राज्य का है। संविधान का भी यही निर्देश है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भव्य भारत की गौरव गाथा लिखने वाले प्रधानमंत्री

वासुदेव देवनानी

नरेन्द्र मोदी देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले और भारतीय संस्कृति में रचे-बसे भव्य भारत के स्वन्दृष्टा प्रधानमंत्री है। उनके सार्वजनिक जीवन के दो दशकों की उपलब्धियों और प्रखर व्यक्तित्व पर जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे किसी व्यक्ति की उदात्त दृष्टि और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दिल जीतने की कला से देश में युग परिवर्तन हो सकता है।

यह बहुत महत्वूर्ण है कि मोदी के व्यक्तित्व पर भारत रत्न और स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर ने प्रार्थना के स्वरों में कहा है कि नरेन्द्र मोदी ने देश की विकास यात्रा को जन आंदोलन बनाने का महती कार्य किया है।

पिछले कुछ समय के दौरान धर्म, अध्यात्म, सामाजिक और राजनीतिक, खेल, संस्कृति, अर्थशास्त्र आदि लगभग सभी क्षेत्रों के मर्मज्ञ विद्वानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 20 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के कार्यकाल की बेबाक खुले मन से सराहना की है। उनका व्यक्तित्व मानवीय क्षमताओं से देश की पुरानी, ढर्रे से चली आ रही और जड हो रही स्थितियों को बदलने वाला है। विश्व भर में प्रसिद्ध अध्यात्म गुरू सद्गुरू प्रधानमंत्री को 'नरेन्द्र भाई' कहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आरम्भिक संघर्षों को निकट से देखा है। इसीलिए वह जोर देकर कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने संघर्ष की जमीन से भारतीय लोगों का विश्वास अर्जित किया है। डॉ. देवी शेट्टी ने महामारी से जूझने के उनके जज्बे को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का विश्वास कायम रखते इससे निपटने की प्रभावी रणनीति पर कार्य किया।

अजित डोभाल, मनोज लड्वा, भरत बलाई और एस.जयशंकर के अनुसार नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत के साथ विदेशों में भी अपनी रणनीति से दिल जीतने के कार्य किया है। उनकी विदेश नीति देश को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली है।

ओलम्पिक खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने उनके बारे में लिखा है कि युवाओं के लिए वह युवाओं की तरह सोचने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए उन्होंने डिजिटल मीडिया और संचार की समकालीन प्रणाली राष्ट्र को प्रदान की। नंदन निलकेणी ने भी प्रौद्योगिकी से श्री मोदी के जुड़ाव के साथ शासन में इसके समुचित प्रयोग पर कहा कि वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए परिवर्तन की नई राहों के अन्वेषक हैं।

शोभना कमिनेनी ने कहा है कि वह महिला सशक्तिकरण को व्यवहार में परिणत करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह देश में निजी क्षेत्र की भूमिका के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर उदय एस. कोटक ने लिखा है कि निजी क्षेत्र को अटूट समर्थन देते हुए देश में प्रमुख आर्थिक सुधारों का शुरूआत नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सफलता है।

अर्थशास्त्री सुरजीत एस. भल्ला ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मोदी को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखते हुए उनकी आर्थिक समझ को बहुत गहरा बताया है। इसी तरह अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि वह जैसा चाहते हैं, वैसा परिणाम प्राप्त करने वाले आर्थिक विषयों के भी मर्मज्ञ ज्ञाता है। डॉ. शमिका रवि ने आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, कोविड महामारी से बचाव की रणनीति आदि के अंतर्गत जन समान्य के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के पीछे नरेन्द्र मोदी की निर्णय क्षमता और आम जन से जुड़ी सोच को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह चुपचाप बहुत सारा ऐसा करते हैं, जो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है।

सुधामूर्ति ने नरेन्द्र मोदी को बड़े व्यक्तित्व का बड़ा वृक्ष कहते हुए उनके ऐसे कार्यों की विरल व्याख्या की है जिनके अंतर्गत आम व्यक्ति के जीवन को दिशा मिलती है।

भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नरेन्द्र मोदी के योगदान को अशोक गुलाटी ने गहराई से विवेचित किया है।सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि कैसे सामान्य परिस्थितियों में असाधारण किया जा सकता है, यह मोदी से सीखा जा सकता है। प्रदीप गुप्ता ने नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद के आंकड़ों के आकलन में चुनाव जीतने की उनकी कला के अंतर्गत यह निरंतर स्थापित किया है कि कैसे मोदी महात्मा गांधी की तरह दिल जीतते हुए कार्य करते हैं

नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाए कदमों के बारे में अनंत नागेश्वरन ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के द्वारा देश में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विकास के स्थायी मॉडल के लिए नरेन्द्र मोदी ने जो किया है, उसके दूरगामी परिणाम आएंगे।

सुप्रसिद्ध लेखक अमिश त्रिपाठी ने कहा है कि सांस्कृतिक लोकाचार को पुनर्जीवित करके नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फिर से स्थापित किया है।

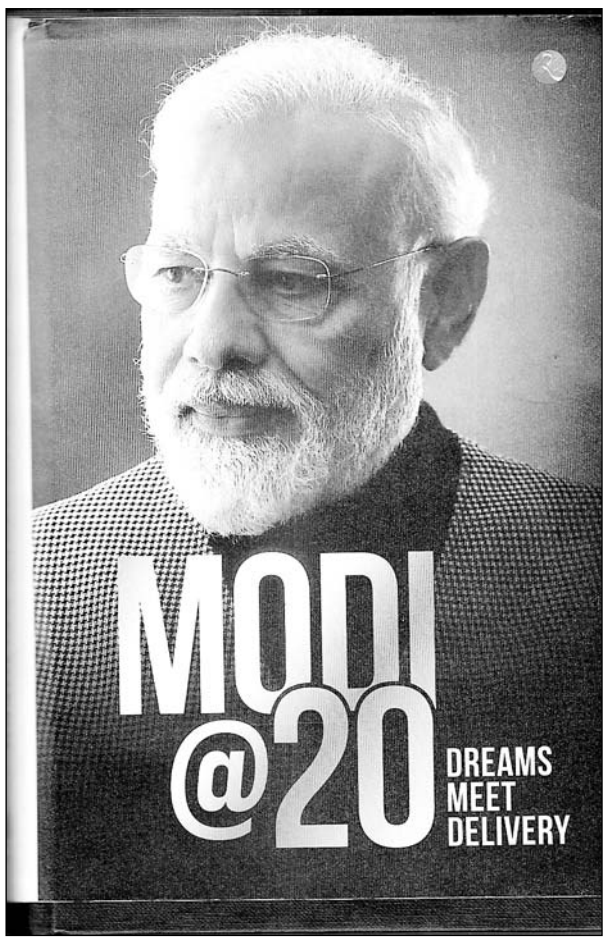

यह सच है कि नरेन्द्र मोदी का जीवन राजनीतिक व्यक्तित्व भर नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरणा देने वाला है। इसीलिए किसी एक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ नहीं बल्कि सभी उनकी कार्यप्रणाली की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंतर्गत यह भी पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति के रूप में उनका का पूरा जीवन शुचिता, त्याग और मनसा-वाचा-कर्मणा से पवित्रता से भरा है। व्यक्तिगत मैं यह मानता हूं कि नरेन्द्र मोदी ने समृद्ध, संपन्न और तेजी से विकास की ओर अग्रसर भारत के स्वप्नद्रष्टा के रूप में जो कार्य किया है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा।

वासुदेव देवनानी
प्रदेश संयोजक-'मोदी/20'
कार्यक्रम

क्रिस्टल का 5 मिमी ताजमहल बनाया

उदयपुर, (कासं)। जिले के अंतरराष्ट्रीय क्रिस्टल शिल्पकार वकार हुसैन पिता एजाज हुसैन ने क्रिस्टल से 5 मिलीमीटर आकार का ताजमहल बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनका नाम '21 सेंचुरी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड' में दर्ज किया गया है।

गुरुवार को राजस्थान लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने हुसैन को यह सर्टिफिकेट सुपूर्द किया एवं शुभकामनाएं दी। अरोड़ा ने शिल्पकार वकार हुसैन को पाग एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान कलाकार वकार हुसैन ने अब तक विभिन्न मंचों पर मिले सम्मान की जानकारी अरोड़ा को दी। कलाकार वकार हुसैन ने बताया कि इस 5 मिलीमीटर के ताजमहल को बनाने में 3 महीने का समय लगा है। शिल्पकार वकार हुसैन पिता एजाज हुसैन ने क्रिस्टल से 5 मिलीमीटर आकार का ताजमहल बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनका नाम '21 सेंचुरी इंटरनेशनल बूक ऑफ रिकॉर्ड' में दर्ज किया गया है।

- **राजस्थान लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने हुसैन को यह सर्टिफिकेट सुपूर्द किया**
- **क्रिस्टल शिल्पकार वकार हुसैन ने ताजमहल बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया**

राजस्थान प्री-वैटरनरी टेस्ट 11 को

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय में स्नातक (बी. वी. एससी. एण्ड ए. एच.) पाठ्यक्रम वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए 11 सितम्बर को होने वाले प्री-वेटरनरी टेस्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक और सहायक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के आकस्मिक निरीक्षण के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। आर.पी.वी.टी. समन्वयक प्रो. ए.पी. सिंह ने बताया कि बीकानेर (10), जयपुर (5) और उदयपुर (5) के 20 निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर लगभग 8158 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किये गए हैं। परीक्षार्थियों को प्रात: 9:30 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।

अपने आत्म स्वरूप में रमण करना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म

वर्षा अजमेरा

अध्यात्म-मार्ग में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है , क्योंकि सही मायने में वही मोक्ष का कारण है। 'ब्रह्म' यानि 'आत्मा' और 'चर्या' यानि 'रमण करना' अर्थात् समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर अपने आत्म-स्वरूप में रमण करना या लीन रहना ही सच्चा- ब्रह्मचर्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत में सब प्रकार के राग- द्वेष त्याग कर अपने आप में रमण करना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना यह मुख्य लक्ष्य होता है। इसे 'अणुव्रत' और 'महाव्रत' दोनों ही रूप से ग्रहण किया जाता है। 'उत्तम-ब्रह्मचर्य' तो नग्न- दिगम्बर भावलिंगी-मुनियों को ही होता है। ब्रह्मचर्य धर्म हमें सिखाता है कि उन परिग्रहों का त्याग करना, जो हमारे भौतिक संपर्क से जुडी हुई हैं, जैसे जमीन पर सोना न कि गद्दे तकियों पर, जरुरत से ज्यादा किसी वस्तु का उपयोग न करना, व्यय, मोह, वासना ना रखते हुए सादगी से जीवन व्यतीत करना ।

सच्चा ब्रह्मचारी कौन हैं? जो शरीर को मल का बीज मानता हुआ देखता हुआ, उसे अत्यंत वीभत्स और अपवित्र वस्तुओं का भंडार देखता हुआ जो काम से विरत होता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी होता है । तो अपनी दृष्टि चर्म से ऊपर उठाओ, ये ऊपर का चर्म का आकर्षण हैं, थोड़ा इसके भीतर देखो, एक परत उखड जाये तो अंदर क्या हैं। जिस दिन हमारे भीतर में यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन हमें फिर किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जीव के परिणामों में अंतर आता है तो उसके कर्म-बंधन में भी अंतर आता है। वास्तव में देखा जाये, तो जिसका शील सुरक्षित है, उसके सब व्रतादिक 'सहज' और 'कार्यकारी' हैं। और जिसका शील सुरक्षित नहीं है, उसके व्रत-तप आदि सब निस्सार हैं।

आचार्य सकलकीर्ति जी महाराज कहते है कि मनुष्य के सभी उत्तम गुणों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है । ब्रह्मचर्य को सभी सिद्धियां होती है । ब्रह्मचर्य व्रत के बिना अन्य सभी व्रत शून्य के समान सारहीन समझना चाहिए ।

ब्रह्मचारी सदा शुचि: पवित्र होता है यह सर्वत्र पूज्य है। जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, तप- ये सब 'शील का परिवार' है। हम सब भी इस शील के परिवार के सदस्य बनकर 'उत्तम-ब्रह्मचर्य-धर्म' को धारण करें- ऐसी मंगल भावना है। हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म का बहुत महत्व है ।

वर्षा अजमेरा
दुर्गापुरा,
जयपुर

राशिफल शुक्रवार 9 सितम्बर, 2022

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, धनिष्ठा नक्षत्र दिन 11:35 तक, सुकर्मा योग सांय 6:11 तक, गर करण प्रात: 7:38 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-सिंह, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग दिन 1:46 से आरम्भ होगा। भद्रा सांय 6:08 से रात्रि 4:48 तक रहेगी। आज अनन्त चतुरदशी व्रत, चान्द पूर्णिमा व्रत, सिंजामाता पूजन आरम्भ और पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:46 तक, लाभ-अमृत 7:46 से 10:51 तक, शुभ 12:24 से 1:57 तक, चर 5:03 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:55

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा।

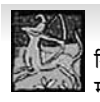

धनु

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

मानसिक तनाव बना रहेगा। मन:स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।